SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 11.09.2021

न्यायालय – जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरू

न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरू में दिनांक 11.09.2021 को निस्तारित एक प्रकरण में दो पक्षों के मध्य एक किराये के परिसर को लेकर विवाद था। उक्त परिसर को लेकर उत्पन्न हुए विवाद के संबंध में वर्ष 2005 में उक्त न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। इस प्रकरण को दिनांक 11.09.2021 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया एवं बैंच अध्यक्ष तथा सदस्यगण द्वारा दोनों पक्षकारान् के मध्य प्री–काउंसलिंग करवायी गई। लगभग 16 वर्ष की दीर्घकालिक अवधि तक चले उक्त प्रकरण का दिनांक 11.09.2021 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनो पक्षों के मध्य आपसी समझाईश करवाकर राजीनामा कर लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया गया।

न्यायालय – अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा

न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा में दिनांक 11.09.2021 को निस्तारित एक प्रकरण में दो पक्षों के मध्य एक जमीन को लेकर विवाद था। बंटवारे को लेकर उत्पन्न हुए विवाद के संबंध में वर्ष 2010 में उक्त न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण में आजादी से पूर्व के पंजाब प्रान्त पाकिस्तान से (भारत–पाकिस्तान विभाजन के दौरान) विस्थापित होकर शरणार्थी के रूप में पक्षकारान् के परिवारजन दिल्ली आये फिर जयपुर एवं जयपुर से दौसा आये। दौसा आने पर तत्कालीन जयपुर रियासत के कलक्टर एवं जागीरदारों द्वारा उन्हें आजीविका चलाने हेतु कृषि योग्य भूमि प्रदान की। संयुक्त परिवार के रूप में उक्त अविभाजित भूमि से विभिन्न स्थानों पर संयुक्त परिवार की आय से अचल सम्पदा का पक्षकारान् के मध्य विभाजन उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद उक्त न्यायालय में लंबित था। उक्त प्रकरण को दिनांक 11.09.2021 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया एवं बैंच अध्यक्ष तथा सदस्यगण द्वारा उभय पक्षकारान् के मध्य प्री–काउंसलिंग करवायी गई। लगभग 10 वर्ष की दीर्घकालिक अवधि तक चले उक्त प्रकरण का दिनांक 11.09.2021 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनो पक्षों के मध्य आपसी समझाईश करवाकर राजीनामा कर लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया गया।

न्यायालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर

यह प्रकरण प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध अंतर्गत धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता में न्यायालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर में वर्ष 2017 में प्रस्तुत किया गया। पक्षकारान् में आपसी मतभेद होने के कारण दोनों अलग–अलग रहने लगे तथा प्रार्थिया द्वारा न्यायालय में यह प्रकरण दर्ज करवाया गया। राजीनामे की संभावना होने से उक्त प्रकरण को दिनांक 11. 09.2021 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा एवं बैंच अध्यक्ष एवं सदस्य द्वारा दोनों पक्षों के बीच बैठक करवायी गयी। दोनों को मतभेद समाप्त कर साथ रहने के लिए समझाया गया जिसके फलस्वरूप दोनों साथ रहने को राजी हुए। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अलग–अलग रह रहे पति–पत्नि को साथ जीवन निर्वाह के लिए खुशी–खुशी घर भेजा गया।

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 11.09.2021

न्यायालय – अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या–03, जयपुर महानगर द्वितीय

न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या–03, जयपुर महानगर द्वितीय में दिनांक 11.09.2021 को निस्तारित एक प्रकरण में दो पक्षों के मध्य जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित एक 311 वर्गगज के भूखण्ड को लेकर सन् 2005 से विवाद था। इस प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य सन् 1983 में एक भूखण्ड के बाबत् विक्रय हेतु इकरारनामा निष्पादित हुआ। पक्षकार 'अ' के द्वारा उक्त इकरारनामें के निरस्तीकरण व कब्जा प्राप्ति के लिए सन् 2005 में वाद प्रस्तुत किया गया था तथा पक्षकार 'ब' द्वारा पक्षकार 'अ' के विरूद्ध उपरोक्त इकरारनामें के विनिर्दिष्ट पालन हेतु वाद प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा उपरोक्त दोनों वाद कंसोलिडेट करने के आदेश प्राप्त हुए। उक्त प्रकरण में राजीनामे की संभावना होने से राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11.09.2021 में प्रकरण को रखा गया। बैंच द्वारा दोनों पक्षकारान् के मध्य प्री–काउंसलिंग की गयी जो सफल रही जिसके फलस्वरूप पक्षकार 'ब' द्वारा पक्षकार 'अ' को 74,64,000/– रूपये (अक्षरे चौहत्तर लाख चौंसठ हजार रूपये) की राशि जरिये डी.डी. अदा की गई एवं पक्षकार 'अ' द्वारा पक्षकार 'ब' के हक में रजिस्टर्ड विक्रय विलय निष्पादित कराया गया, साथ ही पक्षकार 'ब' द्वारा मुख्यमंत्री कोविड रिलीफ फण्ड में भी स्वेच्छा से 07 लाख रूपये जमा करवाये गए। इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से 16 वर्षों से लम्बित विवाद का राजीनामे की भावना से अंतिम रूप से निस्तारण किया गया।

न्यायालय – अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या–01, जोधपुर महानगर

न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या–01, जोधपुर महानगर में दिनांक 11.09.2021 को निस्तारित एक प्रकरण में दो पक्षों के मध्य एक आवासीय मकान को अस्पताल के रूप में काम लिए जाने एवं अवैध निर्माण को लेकर विवाद था। वादी द्वारा सन् 2000 में यह वाद प्रतिवादी के विरूद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वादी एवं प्रतिवादी दोनों पड़ोसी हैं। उक्त विवाद के दौरान दोनों पक्षकार कई बार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में भी गये। उक्त प्रकरण में राजीनामे की संभावना होने से राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11.09.2021 में प्रकरण को रखा गया। बैंच द्वारा दोनों पक्षकारान् के मध्य प्री–काउंसलिंग की गयी जो सफल रही और दोनों पक्षों द्वारा यह राजीनामा किया गया कि उक्त मकान को अस्पताल के रूप में काम में लिया जाता रहेगा परंतु सुनिश्चित किया जायेगा कि अस्पताल के संचालन से वादीगण के हवा–रोशनी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, न ही प्रदूषण एवं गंदगी इत्यादि फैलायी जायेगी तथा किसी प्रकार का अवैध निर्माण वादी के मकान की तरफ किया जायेगा। इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लगभग 21 वर्ष की दीर्घकालिक अवधि तक चले उक्त प्रकरण का दिनांक 11.09.2021 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनो पक्षों के मध्य आपसी समझाईश करवाकर राजीनामा कर लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया गया।

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 11.09.2021

न्यायालय – पारिवारिक न्यायालय, मेड़ता

पारिवारिक न्यायालय, मेड़ता में दिनांक 11.09.2021 को निस्तारित एक प्रकरण में दो पक्षों के मध्य एक अचल सम्पत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद था। उक्त सम्पत्ति को लेकर उत्पन्न हुए विवाद के संबंध में वर्ष 1996 में न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में राजीनामे की संभावना होने से राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11.09.2021 में प्रकरण को रखा गया। बैंच द्वारा दोनों पक्षकारान् के मध्य प्री–काउंसलिंग की गयी। लगभग 25 वर्ष की दीर्घकालिक अवधि तक चले उक्त प्रकरण का दिनांक 11.09.2021 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनो पक्षों के मध्य आपसी समझाईश करवाकर राजीनामा कर लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया गया। पक्षकारों के मध्य सम्पत्ति को लेकर अन्य 04 प्रकरण भी लम्बित थे, जिनका भी राजीनामा कर लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया गया।

न्यायालय – पारिवारिक न्यायालय, मेड़ता

यह प्रकरण प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध अंतर्गत धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता में न्यायालय – पारिवारिक न्यायालय, मेड़ता में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थिया का विवाह अप्रार्थी के साथ वर्ष 2015 में सम्पन्न हुआ। विवाहोपरांत पक्षकारान् के एक पुत्री का जन्म हुआ। वर्ष 2016 में प्रार्थिया एवं अप्रार्थी में आपसी मतभेद होने के कारण दोनों अलग–अलग रहने लगे तथा प्रार्थिया द्वारा न्यायालय में यह प्रकरण दर्ज करवाया गया। इसके अतिरिक्त पक्षकारान् के मध्य उक्त न्यायालय में तलाक का मुकदमा भी विचाराधीन था। उक्त प्रकरण में राजीनामे की संभावना होने से उक्त प्रकरण को दिनांक 11.09.2021 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा एवं बैंच अध्यक्ष एवं सदस्य द्वारा दोनों पक्षों के बीच बैठक करवायी गयी। दोनों को मनमुटाव समाप्त कर साथ रहने के लिए समझाया गया। जिस पर पक्षकारान् ने खुशी–खुशी साथ रहना स्वीकार किया। उनकी पुत्री को अब माता–पिता का प्रेम व वात्सल्य प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार एक परिवार राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से टूटने से बच गया।

****

"Help the Needy – Timely Help May Create History"